BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

# बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्रांक : 2102/SC/ST/Cell/BBAU/20

दिनांक: 24/07/2020

**शीर्ष प्राथमिकता / समय निर्धारित**

## परिपत्र

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/ 07 टी सी० ||| विषयक "वित्तीय वर्ष /शैक्षिक सत्र -2020-21 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुक्ल प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किए जाने के सम्बन्ध मे" के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है । इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर विश्वविद्यालय के मास्टर डाटा को संशोधित (अपडेट) करने के लिए विश्वविद्यालय मे विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण जैसे पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों का नाम, पाठ्यक्रमों की अवधि, कोर्स शुरू करने की तारीख, वर्षवार छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता एवं वर्षवार कुल शुल्क (काशन मनी को छोड़कर) आदि **संलग्न प्रारूप** में **bbauscstcell@gmail.com** पर **(word/exel format)** एवं हस्ताक्षरित प्रति दिनाँक 30.07.2020 तक नोडल अधिकारी, (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उपरोक्त के क्रम मे समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्षा/समन्वयक से अनुरोध है कि कृपया छात्रहित को ध्यान मे रखते हुये सूचना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्पूर्ण सूचना संकलित न होने की दशा मे छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने मे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ।

कुलसचिव

**संलग्नकः**- उपरोक्तानुसार ।

**प्रतिलिपिः**- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति कार्यालय, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा॰भी॰अ॰वि॰, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

**नोडल अधिकारी**
(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

Non Refundable Fees:- अनुमोदित नान रिफण्डेबिल अनिवार्य वार्षिक शुल्क (वार्षिक शिक्षण शुल्क सहित)

Selection of Students:- सम्बंधित पाठ्यक्रम में छात्रों का चयन

Examination System:- सम्बंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली

Examination Number System:- संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम प्रणाली

Max. Marks:- संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम प्रणाली के आधार पर कुल वार्षिक पूर्णांक (सेमेस्टर प्रणाली होने की दशा में अंतिम दो सेमेस्टर जोड़कर)

| Sr. No | Course Name | Uncheck (with control key) if there is no recognition of any year | Non Refundable Fees Year-1 | Non Refundable Fees Year-2 | Non Refundable Fees Year-3 | Non Refundable Fees Year-4 | Non Refundable Fees Year-5 | Seat Yr-1 | Seat Yr-2 | Seat Yr-3 | Seat Yr-4 | Seat Yr-5 | Max. Marks Yr-1 | Max. Marks Yr-2 | Max. Marks Yr-3 | Max. Marks Yr-4 | Max. Marks Yr-5 | Affiliated Univ | Selection of Students | Examination System | Examination Number System | Fees Submit | Reset Fees & Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

संख्या– 84 /2020/1332/26–3–2020–4(358)/07 टी.सी. ।।।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–177/स0क0/शिक्षा–अ/07/28/2020–21, दिनांक–04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020–21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

| **क0 सं0** | **प्रकियात्मक कार्यवाही** | **निर्धारित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा | 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक |



D.P Dwivedi New g.o

11/c

| | | |
|---|---|---|
| | पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करना। | |
| 1ए | प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3–प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ–226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। **(नोटः–राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)** | 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक |
| 1बी | योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। | 01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 ***(नोटः–राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)*** |
| 2 | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक |
| 2ए | योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना। | 21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक |
| 3 | जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना। | 16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक |

| दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु | | |
|---|---|---|
| 4 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। **(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)** | 01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक |
| 5 | छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्षित किया जाना। | छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में। |
| 6 | ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक |
| 7 | छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। **(नोटः–02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)** | 02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक |
| 8 | छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना। | 08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक |
| 9 | जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 15 सितम्बर 2020 तक |
| 10 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये) | 08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक |
| 11 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये) | 16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक |
| 12 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिज़िटल | 30 सितम्बर 2020 तक |

| | | |
|---|---|---|
| | सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना। | |
| 13 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 01 अक्टूबर 2020 तक |
| 14, | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना | 02 अक्टूबर 2020 को |
| | **कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु** | |
| 15 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। | 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक |
| 16 | छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। | छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में। |
| 17 | ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक |
| 18 | छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। | 02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक |
| 19 | जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 30 नवम्बर 2020 तक |
| 20 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। | 20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक |
| 21 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना। | 11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक |
| 22 | सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना। | 11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक |
| 23 | आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020 तक |
| 25 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। | 29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021 तक |
| 26 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना। | 07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक |
| 27 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना। | 23 जनवरी 2021 तक |
| 28 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 25 जनवरी 2021 तक |
| 29 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना। | 26 जनवरी 2020 को |

**नोटः-**

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड—19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020—21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

**पृ0सं0— 84/2020/1332(1)/26—3—2020 तद्दिनांक:—**

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—</u>

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

6/c

संख्या–85 / 2020 / 1332 / 26–3–2020–4(358) / 07 टी.सी. III

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 15 जून 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–177/स0क0/शिक्षा–अ/07/28/2020–21, दिनांक–04.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओंसे सम्बन्धित पाठ्यकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यकमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में(केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त)संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2020–21 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3– इस संदर्भ में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है :–

| **क0 सं0** | **प्रकियात्मक कार्यवाही** | **निर्धारित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल | 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक |

| | | |
|---|---|---|
| | हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करना। | |
| 1ए | प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3—प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ—226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। **(नोटः—राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिये 31 अगस्त 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)** | 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक |
| 1बी | योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना। | 01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 ***(नोटः—राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)*** |
| 2. | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11—12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक |
| 2ए | योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना। | 21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक |
| 3 | जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का | 16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक |

4/c

| | | |
|---|---|---|
| | आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना। | |
| **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति –समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11–12 के छात्रों हेतु** | | |
| 4 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। **(आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)** | 01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक |
| 5 | छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्षित किया जाना। | छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में। |
| 6 | ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2020 तक |
| 7 | छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। **(नोटः–02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)** | 02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक |
| 8 | छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना। | 08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक |
| 9 | जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 15 सितम्बर 2020 तक |
| 10 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct)छात्रों के लिये) | 08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक |
| 11 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवंजनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct)छात्र/छात्राओं के लिये) | 16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना। | 30 सितम्बर 2020 तक |
| 13 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 01 अक्टूबर 2020 तक |
| 14 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना | 02 अक्टूबर 2020 को |
| | **कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु** | |
| 15 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। | 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक |
| 16 | छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का क्रमांक ) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। | छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में। |
| 17 | ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 12 नवम्बर 2020 तक |
| 18 | छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। | 02 अगस्त से 19 नवम्बर 2020 तक |
| 19 | जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 30 नवम्बर 2020 तक |
| 20 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। | 20 नवम्बर 2020 से 10 दिसम्बर 2020 तक |
| 21 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना। | 11 दिसम्बर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक |
| 22 | सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना। | 11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 24 दिसम्बर 2020 तक |
| 24 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 12दिसम्बर 2020 से 28दिसम्बर 2020 तक |
| 25 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। | 29 दिसम्बर 2020 से 06जनवरी 2021 तक |
| 26 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी/के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना। | 07 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक |
| 27 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना। | 23 जनवरी 2021 तक |
| 28 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 25 जनवरी 2021 तक |
| 29 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस कार्यक्रम आयोजित करना। | 26 जनवरी 2021 को |

**नोटः–**

1– उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2– छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3– संस्था द्वारा छात्र का आवेदन प्राप्त करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन वापस कर सकेगी तथा छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराके पुनः07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा दिनांक 02 अगस्त 2020 से 02 नवम्बर 2020 तक ही उपलब्ध रहेगी।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

6— उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरण दिवस हेतु निर्धारित तिथि 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड–19 की स्थिति को देखते हुये विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

अंतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

**पृ0सं0– ~~83~~ 84 /2020/1332(1)/26–3–2020 तद्दिनांक:–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।